

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 37 / 2017 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002.

एयु स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम "एयू फाईनेन्सर्स(इण्डिया) लि.")

पता:- 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 राजस्थान।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. रमन प्रकाश उर्फ रमन जांगिड़ पुत्र चौथ मल (ऋणी व बन्धनकर्ता)
पता:- 167, महाजनों का मौहल्ला, ग्राम कंचनपुर, तहसील- श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान
दूसरा पता:- पट्टा नं. 95, आवधीय सम्पत्ति, जयपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर
राजस्थान -332715
2. कुंदन राम प्रकाश जांगिड़ पुत्र राम प्रकाश जांगिड़ (सहऋणी)
पता:- महाजनों का मौहल्ला, ग्राम कंचनपुर, तहसील- श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान।
3. संदीप कुमार जांगिड़ पुत्र रमन प्रकाश जांगिड़ (सहऋणी)
पता:- महाजनों का मौहल्ला, ग्राम कंचनपुर, तहसील- श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान।
4. कमला देवी पुत्र रमन प्रकाश जांगिड़ (सहऋणी)
पता:-167, महाजनों का मौहल्ला, ग्राम कंचनपुर, तहसील- श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान।
5. महेश चन्द बेदी पुत्र निहल चन्द बेदी (जमानती)
पता:- 82, ब्राह्मण कोटड़ी, लूहारगाम, तहसील, जिला सीकर, राजस्थान -332715

अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction
of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांक: 26 दिसम्बर, 2017

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री महेश शर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण रमन प्रकाश उर्फ रमन जांगिड़, कुंदन राम प्रकाश जांगिड़, संदीप कुमार जांगिड़, कमला देवी, महेश चन्द बेदी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में रमन प्रकाश उर्फ रमन जांगिड़ पुत्र चौथ मल की आवाधीय सम्पत्ति जो ग्राम- कंचनपुर, तहसील- श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है।

जिसकी माप लगभग 326.44 वर्गगज है, को बंधक रखकर 3,50,000 /—रुपये (अक्षरे रूपये तीन लाख पच्चास हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 24.04.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली का मली भांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत की राजधानी नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 24.04.2017 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्राप्त की गई है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में गृहण शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण रमन प्रकाश उर्फ रमन जांगिड, कुंदन राम प्रकाश जांगिड, संदीप कुमार जांगिड, कमला देवी, महेश चन्द इंदी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रमन प्रकाश उर्फ रमन जांगिड, पुष्पक मल की आवाधीय सम्पत्ति जो ग्राम—कंचनपुर, तहसील— श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 326.44 वर्गगज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक: 26 दिसम्बर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर